

मुख्यमंत्री

कन्या



उत्थान योजना



बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग



₹ 2000/-
कन्या के जन्म पर



₹ 1000/-
कन्या के 1 वर्ष
पूर्ण होने एवं
आधार पंजीयन कराने पर



₹ 2000/-
कन्या के 2 वर्ष
पूर्ण होने पर
(टीकाकरण उपरान्त)



₹ 600/-
वर्ग 1-2 प्रतिवर्ष
(पोशाक)



₹ 700/-
वर्ग 3-5 प्रतिवर्ष
(पोशाक)



₹ 1000/-
वर्ग 6-8 प्रतिवर्ष
(पोशाक)



₹ 1500/-
वर्ग 9-12 प्रतिवर्ष
(पोशाक)



₹ 10,000/-
इंटरमीडियट
उत्तीर्ण करने पर
(अविवाहित)



₹ 25,000/-
स्नातक
उत्तीर्ण करने पर

₹ 300/- प्रतिवर्ष

(किशोरी स्वास्थ्य योजनातर्गत सेनिटरी नेपकीन हेतु)

बेटियों को संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन

उद्देश्य -

- कन्या भ्रूण हत्या को रोकना
- बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना
- कन्याओं के जन्म, निबंधन एवं सम्पूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहित करना
- लिंग अनुपात में वृद्धि लाना
- बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना
- बाल-विवाह पर अंकुश लगाना तथा कुल प्रजनन दर में कमी लाना।

ध्यान रखें - छात्रवृत्ति, साईकिल, कन्या-विवाह आदि योजनाओं का लाभ पूर्व की भाँति बालिकाओं को मिलता रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए टॉल फ्री न: 181 और समाज कल्याण निदेशालय (बिहार) के दूरभाष सं. - 0612 2211718 पर सम्पर्क करें।